प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, श्रीगंगानगर थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–..... 2022.....
प्र0सू0रि0 सं .....312/22.....दिनांक.....8/8/2022.....

2. (1) अधिनियम... भ्र.नि.(संशोधन)अधिनियम 2018.....धाराए ..... 7 .....
(2) अधिनियम.....धाराए.....
(3) अधिनियम.....धाराए.....
(4) अन्य अधिनियम एवं .....धाराएं.....

3. (क) घटना का दिन :– शनिवार .....दिनांक :–...06.08.2022.....समय : 01.55 पीएम.....
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :–.....04.08.2022.....समय : 10.30 एएम.....
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या .....150..... समय.....3:15 P.M.....

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी – चौकी से दक्षिण पश्चिम दिशा बफासला करीब 50 किमी
बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
(ख) पता:–पुलिस थाना श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर ।
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस
थाने का नाम..... जिला .....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री उग्रसेन
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री धर्मपाल
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 42 वर्ष
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान.....
(च) व्यवसाय:– –
(छ) पता :– निवासी मकान नं. 04/48 सिन्धी कॉलोनी नजदीक यू.आई.टी. श्रीगंगानगर।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

1. महावीर प्रसाद पुत्र श्री लालचन्द उम्र 51 वर्ष निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर हाल निवास एच–14 विकासपुरी नजदीक राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्ठया(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

आरोपी महावीर प्रसाद सहायक उप निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना श्रीकरणपुर में परिवादी व उसके परिजनों के विरूद्ध दर्ज मुकदमा संख्या 132/2022 बजुर्म 457,427,143 भादस में एफआर देने के बदले परिवादी से 50,000 रूपये रिश्वत मॉगकर वक्त सत्यापन रिश्वती मॉग 15,000 रूपये रिश्वत हेतु तय कर 10,000 रूपये सत्यापन के दौरान प्राप्त करना एवं बकाया रिश्वती मॉग के अनुसरण में वक्त ट्रेप दिनांक 06.08. 2022 को परिवादी से 5,000 रूपये रिश्वत मॉग कर परिवादी से थाना के रसोईघर में रखवाकर प्राप्त करने के आरोप हैं।

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य :– .....5,000/रू.....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

सेवामें,

सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर श्रीमानजी निवेदन है कि मैं प्रार्थी उग्रसेन गढ़वाल पुत्र श्री धर्मपाल गढ़वाल निवासी गांव मुकन (2 एफसी) तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी 4/48 सिन्धी कॉलोनी यू.आई.टी. रोड़ श्रीगंगानगर का हूं। हमारा एक भूखण्ड संख्या 686 गॉव मुकन में मेरे पिता के नाम पुराना पटटाशुदा है। इस भूखण्ड का दूसरा पटटा इन्द्रसेन पुत्र रामप्रकाश ने पंचायत से अपने नाम बनवा लिया। हमारा पटटा पुराना था। हमने इन्द्रसेन इस बारे में बात की तो हमारे बीच झगड़ा हो गया। इस बात को लेकर इन्द्रसेन ने हमारे खिलाफ पुलिस थाना श्रीकरणपुर में मुकदमा नं. 132/2022 दर्ज

करवा दिया। इस मुकदमे की तफ्तीश श्री महावीर एएसआई कर रहे हैं। वह मुकदमा में एफआर देने के बदले 50,000 रूपये रिश्वत मांग रहा है। हम रिश्वत नहीं देकर श्री महावीर एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहते हैं। हमारी उससे कोई रंजिश नहीं है ना ही कोई लेनदेन बकाया है। श्रीमानजी हम उपरोक्त भूखण्ड के असली मालिक हैं जिसका मेरे पिता श्री धर्मपाल के नाम से वर्ष 2004–05 में जारीशुदा पटटा है तथा इस भूखण्ड का कब्जा हमारे पास है। अतः रिपोर्ट देता हूं कृपा मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करें। दिनांक 04.08.2022 प्रार्थी हस्ताक्षर–उग्रसेन पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी मुकन (2एफसी) हाल 4/48 सिन्धी कॉलोनी श्रीगंगानगर।

कार्रवाई पुलिस

दिनांक :– 04.08.2022
समय :– 10.30 एएम
स्थानः– ब्यूरो कार्यालय, श्रीगंगानगर–II

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 04.08.2022 को वक्त 10.30 एएम पर परिवादी श्री उग्रसेन पुत्र श्री धर्मपाल जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी गांव मुकन तह. श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल निवास मकान नं. 04/48 सिन्धी कॉलोनी नजदीक यु.आई.टी. श्रीगंगानगर ने खुद हाजिर होकर यह लिखित रिपोर्ट श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस द्वारा इस रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने के मुझे निर्देश देने पर मेरे द्वारा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं रिपोर्ट पढ़कर मौजूद परिवादी श्री उग्रसैन को सुनाने पर उसने रिपोर्ट के तथ्य सही–सही होना एवं उस पर अपने ही हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। मजीद **दरियाफ्त पर** बताया कि गांव मुकन में मेरे पिता के नाम से पुराने पटटाशुदा भूखण्ड, जिस पर हमारा कब्जा है, का हमारे ही गॉव के श्री इन्द्रसैन पुत्र श्री रामप्रकाश जाट ने ग्राम पंचायत से अपने नाम से पटटा बनवा लिया जिस कारण हमारा विवाद हो गया था। इस संबंध में श्री इन्द्रसैन ने हमारे खिलाफ पुलिस थाना श्रीकरणपुर में मुकदमा नं. 132 दिनांक 03.07.22 दर्ज करवा दिया। इस मुकदमा की तफ्तीश श्री महावीर एएसआई पुलिस थाना श्रीकरणपुर कर रहे हैं। हमने उक्त भूखण्ड हमारा होने के संबंध में श्री महावीर एएसआई को बताकर हमारे पास सबूत होने का बताकर कहा था कि इन्द्रसैन ने हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा करवाया है लेकिन श्री महावीर एएसआई हमें उक्त मुकदमा में एफआर लगाने के नाम पर रिश्वत लेने के लिए नाजायज परेशान कर रहा है। हम रिश्वत नहीं देना चाहते हैं। परिवादी ने यह भी जाहिर किया कि हमारे गांव के श्री जयंती शर्मा जो हमारे गांव में घर पड़ौसी हैं तथा हमारा आपस में आना जाना है, उनको इस घटना का पता है तथा श्री महावीर एएसआई द्वारा उनके सामने ही रिश्वत मांगी थी, आरोपी महावीर एएसआई उनके सामने मेरे से रिश्वत की मांग करेगा इसलिए मैं मेरे परिचित श्री जयंती शर्मा निवासी मुकन को कार्यवाही के दौरान साथ रखना चाहता हूं। जिस पर परिवादी को उसके परिचित श्री जयंती शर्मा को कार्यवाही में साथ रखने की अनुमति दी गई। इस प्रकार मजमून रिपोर्ट व दरियाफ्त परिवादी से मामला पीसी एक्ट के तहत कार्यवाही में आना पाये जाने पर दिनांक 04.08.2022 को ही परिवादी उग्रसेन को मय डिजिटल टेप रिकार्डर श्री सुरेन्द्र सिंह कानि. के साथ आरोपी महावीर प्रसाद एएसआई द्वारा रिश्वत की मॉग करने के आरोपों का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु भेजा गया जो वक्त 05.15 पीएम पर गोपनीय सत्यापन से वापिस आये और परिवादी ने डिजिटल टेप रिकार्डर पेश कर बताया कि मैं डिजिटल टेप रिकार्डर सहित श्री जयंती शर्मा को साथ लेकर पुलिस थाना में आरोपी महावीर एएसआई से मिला था उस समय मेरा अन्य परिचित विनोद भी साथ था, वार्ता के दौरान आरोपी ने हमारे मुकदमा में गवाहों के बयान करवाने एवं मुकदमा में एफआर देने संबंधी कार्य के एवज में 15,000 रूपये रिश्वत हेतु तय करके 10,000 रूपये ले लिऐ हैं तथा 5,000 रूपये बाद में दे देने का कहते हुऐ परसों 10.00 बजे तक थाना पर बुलाया है। इस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना तो उसमें परिवादी के कार्य एवं रिश्वत के संबंध में विस्तृत वार्ता होकर परिवादी द्वारा बताये अनुसार रिश्वत मांगने, 10,000 रूपये प्राप्त कर लेने एवं 5,000 रूपये बाद में दे देने के तथ्य रिकार्ड पाये गये। परिवादी ने बताया कि साहब मेरा दूध की डेयरी का काम है, मेरा व्यवसाय के तहत जाना जरूरी है। इस पर परिवादी को अगले दिन 10.00 एएम पर पुनः आने हेतु पाबन्द कर वापिस भेजा गया, तब तक के लिए डिजिटल टेप रिकार्डर मैंने अपनी सुरक्षा में लिया गया। तत्पश्चात दिनांक 05.08.2022 को अग्रिम कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने पर कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर श्रीगंगानगर में दूरभाष से वार्ता कर किन्हीं दो अधिकारियों/कर्मचारियों को गवाह हेतु भिजवाने बाबत निवेदन कर उक्त कार्यालय से श्री भवानी सिंह मीणा कनिष्ठ सहायक तथा श्री रवि कुमार

कनिष्ठ सहायक चौकी हाजा पर उपस्थित आये जिनको तलबी का कारण बताते हुऐ अगले दिन 07.00 एएम पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर वापिस भेजा गया। वक्त 06.00 पीएम पर पाबन्दशुदा परिवादी उग्रसेन चौकी हाजा पर उपस्थित आया जिसकी मौजूदगी मे दिनांक 04.08.2022 को आरोपी महावीर प्रसाद एएसआई द्वारा रिश्वत मांग के सत्यापन के दौरान रिकार्ड की गयी वार्ता संबंधी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चौकी हाजा के कम्पयुटर पर परिवादी व गवाहान को सुनाते हुऐ फर्द ट्रांस्क्रिप्ट वार्ता रिश्वती मांग सत्यापन तैयार की गयी व रिकार्ड वार्ता को दो सीडी मे डाउनलोड किया जाकर एक सीडी को कपड़े की थैली में सील मोहर करके व दूसरी को खुली हालत में अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुला रखकर कब्जा में लिया गया। बाद कार्यवाही परिवादी उग्रसेन को दिनांक 06.08.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रातः 07.00 एएम पर आरोपी की मॉग अनुसार राशि 5,000 रूपये सहित चौकी पर उपस्थित आने के लिए पाबन्द कर वापिस भेजा गया। दिनांक 06.08.2022 को 07.30 एएम पर परिवादी उग्रसेन चौकी पर उपस्थित आया। साथ–साथ ही गवाह हेतु पाबंदशुदा श्री भवानी सिंह मीणा कनिष्ठ सहायक व श्री रवि कुमार कनिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य कर श्रीगंगानगर से ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। दोनों कर्मचारियों को कार्यवाही में बतौर गवाह सहयोग की अपेक्षा की तो दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी सहमति दी जिस पर दोनों गवाहों को कार्यवाही में शामिल कर परिवादी उग्रसेन से दोनो गवाहान का आपसी परिचय करवाया गया एवं परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन करवाकर परिवादी की रिपोर्ट का सार बताते हुये सत्यापन के तथ्यों से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात उपरोक्त दोनों गवाहान की मौजूदगी में परिवादी श्री उग्रसेन पुत्र श्री धर्मपाल ने निर्देशानुसार अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500/रू के 10 नोट कुल 5,000/–रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया। जिनका विवरण इस प्रकार है :–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3TN234033
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3VE584159
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	4AN017825
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	5CM389245
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0BN404606
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	9SV128650
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0CM936410
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6BU183412
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	9DT855864
10	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	5HK724041

उक्त प्रस्तुत नोटो को मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी एवं गवाहान को दिखाकर श्री मनजीत चलाना कानि0 से फिनालपथलीन पाउडर की शीशी मालखाना से मंगवाकर उक्त 5,000/रू के नोटो पर फिनालपथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। फिर गवाह श्री भवानी सिंह कनिष्ठ सहायक से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 5,000/रू के नोटो को श्री मनजीत चलाना कानि0 के जरिये परिवादी के पहनी जिन्स पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपी की मांग से पूर्व राशि को हाथ नही लगाये तथा आरोपी के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपी को देवे, आरोपी को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिसड कॉल कर रिश्वत राशि देने का ईशारा करें। परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्री मनजीत चलाना कानि0 के हाथो की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। फिर श्री मनजीत चलाना कानि0 के हाथ, गिलास को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान एवं अन्य ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ भी साबुन व पानी से साफ धुलवाए गए एवं ट्रेप बॉक्स में रखी शीशियो व उनके ढक्कनों, चम्मच, कांच के गिलासो को भी वाशिंग पाउडर व साफ पानी से धुलवाये गये। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे परिवादी व आरोपी के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्वत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता

को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चौकी हाजा का डिजीटल टेप रिकॉर्डर परिवादी श्री उग्रसेन को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत सोडियम कार्बोनेट व फिनॉफ्थलीन पाउडर की प्रतिक्रिया संबंधी मुर्तिब की गयी। फिर आरोपी की मौजूदगी का पता लगाकर वक्त 12.30 पीएम पर परिवादी श्री उग्रसेन को उसकी बलेनो कार नं. आरजे 13 सीडी 6269 में मय सुरेन्द्र सिंह कानि. व भवानी सिंह कानि. के मुनासिब निर्देश देकर रवाना कर पीछे–पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान रवि कुमार व भवानी सिंह मीणा तथा स्टाफ सदस्यों श्री हंसराज एएसआई, बजरंगलाल कानि., भंवरराम कानि., दिनेश कुमार कानि. तथा पंकज कानि. चालक के सरकारी बोलेरो व प्राईवेट वाहन में बजानिब श्रीकरणपुर को रवाना हुआ। श्री मनजीत चलाना कानि. को मुनासिब निर्देश देकर चौकी पर छोड़ा गया। वक्त 01.30 पीएम पर श्रीकरणपुर करबा में परिवादी पुलिस थाना के नजदीक पहुँचा और वहां हमराही कानि. भवानी सिंह व सुरेन्द्र सिंह कानि. को कार से उतारकर स्वयं कार से पुलिस थाना में प्रवेश कर गया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना श्रीकरणपुर के पास ही गुरूद्वारा के पास पहुँचकर रूका। वहां से मन पुलिस निरीक्षक मय गवाह भवानी सिंह, हंसराज एएसआई के पुलिस थाना के सामने की दुकानों के बाहर ट्रेप के ईशारा के इन्तजार में मुकीम हुआ। हमराही शेष ट्रेप पार्टी सदस्य व गवाह रवि कुमार भी थाना के आसपास ही मुकीम हुऐ। तत्पश्चात वक्त 01.55 पीएम पर परिवादी श्री उग्रसेन ने पुलिस थाना के मुख्य भवन से बाहर निकलकर ट्रेप का निर्धारित ईशारा दिया, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यो के अविलम्ब परिवादी उग्रसेन के पास पहूंचा तो परिवादी ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर पेश करते हुये बताया कि श्री महावीर एएसआई पुलिस थाना में बाहर ही खड़ा था जिसने मेरे से हमारे खिलाफ मुकदमा संख्या 132/2022 में गवाहों के बयान लेने एवं एफआर देने के एवज में बातचीत करते हुऐ मेरे को अपने साथ ले जाकर थाना में बने रसोईघर में स्लेब पर अखबार के नीचे 5,000 रूपये रिश्वत राशि रखवा ली है तथा खुद महावीर एएसआई वहां रसोई में ही खड़ा है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान परिवादी व हमराही जाप्ता के पुलिस थाना में प्रवेश कर परिवादी के बताऐ अनुसार थाना भवन के बाईं हाथ की ओर बने रसोईघर में पहुँचा जहां रसोईघर के बाहर टीशर्ट पहने खड़े व्यक्ति की ओर ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही श्री महावीर एएसआई है तथा रिश्वत के संबंध में अपने उक्त कथन पुनः किये। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महावीर प्रसाद पुत्र श्री लालचन्द उम्र 51 वर्ष निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर हाल निवास एच–14 विकासपुरी नजदीक राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर होना बताया। फिर आरोपी महावीर एएसआई से परिवादी उग्रसेन से सम्बधित कार्य एवं उससे ली गई रिश्वत राशि के सम्बधं में पूछा तो उसने बताया कि साहब पुलिस थाना पर इन्द्रसेन पुत्र रामप्रकाश जाट निवासी मुकन पुलिस थाना श्रीकरणपुर की रिपोर्ट पर धर्मपाल, उग्रसेन वगैरा के खिलाफ मुकदमा संख्या 132/22 दिनांक 03.07.22 बजुर्म 457,427,143 भा.द.स. में दर्ज हुआ है। यह प्रकरण गांव मुकन में भूखण्ड का दोहरा पटटा जारी हो जाने को लेकर परिवादी पक्ष व इनमें विवाद के संबंध में है। इस मुकदमा में पहले श्री मंशाराम हैड कानि. तफ्तीश कर रहे थे जिनका स्थानान्तरण हो जाने पर दिनांक 10.07.22 को यह पत्रावली मुझे तफ्तीश हेतु प्राप्त हुई थी। मेरे द्वारा उक्त मुकदमा के परिवादी पक्ष से तफ्तीश कार्य किया जा चुका है। आरोपी पक्ष के आस पड़ौस के गवाहों के बयान लेने हैं तथा रिकार्ड प्राप्त करना है। यह उग्रसेन दिनांक 04.08.2022 को मेरे पास थाने में आया था तब मैंने इसको इनके गवाहों के बयान करवाने हेतु कहा था, आज कुछ समय पहले यह मेरे पास थाना में आया था तब भी मैंने इसको गवाहों के बयान कराने हेतु कहा था। मैंने इससे ना तो कोई रिश्वत मॉगी थी और ना ही कोई रिश्वत राशि ली है। इस पर परिवादी उग्रसेन ने रूबरू हाजरीन के बताया कि साहब ये झूठ बोल रहे हैं, हम इनसे कुछ दिन पहले मिले थे और इनको बताया था कि गांव मुकन में हमारे भूखण्ड संख्या 686 का पटटा पंचायत से मेरे पिता के नाम वर्ष 2004–05 में बना था जिस पर हमारा कब्जा है, इन्द्रसेन ने इस भूखण्ड पर अपने नाम से पंचायत से गलत पटटा लिया है तो इन्होंने कहा कि 50,000 रूपये लगेंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा में एफआर लगा दुँगा। इस पर मेरे द्वारा दिनांक 04.08.2022 को आपके कार्यालय में महावीर एएसआई के खिलाफ कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिस पर आप द्वारा सत्यापन कराने के दौरान इन्होंने मेरे से पॉच गवाहों के बयान कराने को कहा था और मुकदमा में एफआर देने के बदले रिश्वत के लिए 15,000 रूपये तय करके 10,000 रूपये उसी समय ले लिऐ थे, बकाया 5,000 रूपये दो–चार दिन में देने का तय किया था। आज मैं पुलिस थाना श्रीकरणपुर में आया तो यह महावीर एएसआई थाना के बाहर गेट पर ही खड़े थे जो मेरे से हमारे खिलाफ मुकदमा में गवाहों के बयान कराने एव

एफआर लगा देने के संबंध में बात करते हुऐ यहां रसोईघर में ले आये थे और मेरे से रिश्वत राशि रसोईघर में सलेब पर अखबार के नीचे रखवा ली थी। यह 5,000 रूपये महावीर एएसआई ने मेरे से मेरे विरूद्ध दर्ज उक्त झूठे प्रकरण में एफआर लगाने की एवज में रिश्वत के ही लिये हैं। इस पर आरोपी महावीर एएसआई से पुनः परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो पूर्वानुसार कथन कर कहा कि मैंने इनसे कोई रिश्वत नहीं मॉगी थी एव ना ही ली है। इस प्रकार उक्त घटनाक्रम से एवं परिवादी द्वारा किये गये कथनों के आधार पर परिवादी उग्रसेन व आरोपी महावीर प्रसाद एएसआई के मध्य रिश्वत राशि का आदान–प्रदान होना पाया गया। प्रकरण में रिश्वत राशि की तत्काल बरामदगी आवश्यक होने से मन पुलिस निरीक्षक हमराही गवाहान, परिवादी व जाब्ता के आरोपी महावीर प्रसाद को साथ लेकर रसोईघर में बताये गये स्थान के पास पहुँचा। परिवादी के बताये अनुसार गवाह श्री रवि कुमार से रसोईघर की सलेब पर बिछे अखबार को उठवाया तो यहां पांच सौ रूपये के नोटों की थैही रखी पायी गयी। परिवादी ने बताया कि यही राशि 5,000 रूपये है जो महावीर एएसआई ने मेरे से यहां रखवायी है। इस पर आरोपी महावीर प्रसाद से इस राशि के संबंध में पूछा तो कोई जबाब नहीं दिया, चुप ही रहा। तत्पश्चात गवाह श्री रवि कुमार से उक्त राशि को उठवाकर गिनवाया तो गवाह ने गिनकर पॉच–पॉच सौ के दस नोट कुल 5,000 रूपये होना बताया। इस बरामदा राशि की नोटों का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट में वर्णित नोटों से गवाहों के जरिऐ करवाये जाने पर बरामदा राशि के नोट रिश्वत वाले ही होना पाये गये। बरामद नोटों का विवरण फर्द में लिखकर उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। रसोईघर से परिवादी के ईशारा देने हेतु बाहर आने पर आरोपी द्वारा अकेला होने से रिश्वत राशि को उठाने का प्रयास किया गया हो, ऐसी संभावना के तहत आरोपी महावीर एएसआई के हाथों की धोवन लिया जाना आवश्यक होने से मौका पर ट्रेप बॉक्स मॅगवाकर उसमें से दो साफ कांच के गिलासो को साफ धुलवाते हुये उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी महावीर प्रसाद के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'आर–1, आर–2'** अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपी महावीर प्रसाद के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'एल–1, एल–2'** अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। ट्रेप कार्यवाही में रिश्वत राशि थाना में बने रसोईघर में सलेब पर अखबार के नीचे से रखी हुई बरामद हुई है। इस बरामदगी स्थल का भी धोवन लिया जाना है। इस हेतु एक अन्य कॉच के गिलास में पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल बनाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर रिश्वत राशि रखे स्थान व उस पर बिछे अखबार जिसका हिस्सा रिश्वत राशि के सम्पर्क में आया है, को एक कपड़े की चिन्दी के जरिऐ रगड़कर चिन्दी को उक्त सोडियम कार्बोनेट के रंगहीन घोल में डुबोकर धोवन लिया तो धोवन गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे मौका पर ही दो शीशीयों में आधा–आधा भरकर सील मोहर किया गया तथा शीशीयों की चिट पर मार्का **'एस–1, एस–2'** अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे में लिया गया। धोवन लिये गये उक्त अखबार को कपड़े की चिन्दी सहित सील मोहर कर कब्जे में लिया गया। कार्यवाही के दौरान आरोपी महावीर प्रसाद एएसआई से परिवादी से संबंधित मुकदमा संख्या 132/2022 दिनांक 03.07.2022 की पत्रावली पेज संख्या 01 से 43 तक की प्राप्त कर बाद अवलोकन पत्रावली की फोटोकॉपी करवाकर थानाधिकारी से प्रमाणित करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा में ली गयी। कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वत राशि व हाथ धुलाई मुर्तिब कर सम्बधिंत के फर्द पर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता की डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को रूबरू गवाहान, परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की दो सीडी बनाई जाकर एक सीडी सील मोहर की गई तथा एक सीडी वास्ते अनुसंधान खुली रखी गई। आरोपी महावीर प्रसाद एएसआई को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द मुर्तिब की गई। फिर ट्रेप कार्रवाई में प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाकर हालात मौका अंकित किये गये। कार्यवाही के दौरान मौका पर चिकित्सा अधिकारी श्रीकरणपुर को तलब कर आरोपी का स्वास्थय परीक्षण करवाया गया। मौका की कार्यवाही के बाद परिवादी

उग्रसेन को मौका से ही जाने की ईजाजत देकर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ व गिरफ्तारशुदा आरोपी महावीर प्रसाद एएसआई सहित जब्तशुदा व बरामदशुदा माल वजह सबूत आदि साथ लेकर श्रीगंगानगर के लिए रवाना होकर वक्त 07.40 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहुंचा। मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत छः शील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 5000/रू रिश्वत राशि, शील्ड शुदा अखबार व कपड़े की चिन्दी, शील्डशुदा सीडी आदि श्री बजरंगलाल कानि0 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री उग्रसेन व उसके परिवारजनों के विरूद्ध पुलिस थाना श्रीकरणपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 132/22 बजुर्म 457,427,143 भादस का अनुसंधान आरोपी महावीर प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना श्रीकरणपुर के द्वारा किया जा रहा है। आरोपी द्वारा परिवादी उग्रसेन से इस मुकदमा में एफआर देने के लिए 50,000 रूपये की रिश्वत की मांग करने पर परिवादी उग्रसेन द्वारा दिनांक 04.08.2022 को आरोपी महावीर प्रसाद के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिस पर दिनांक 04.08.2022 को ही ब्यूरो द्वारा करवाये गये सत्यापन के दौरान आरोपी महावीर प्रसाद द्वारा रिश्वत हेतु 15,000 रूपये तय कर 10,000 रूपये वक्त सत्यापन प्राप्त किये गये। रिश्वत की मांग के अनुसरण में आज बकाया रिश्वत के रूप में आरोपी द्वारा 5,000 रूपये रिश्वत राशि परिवादी से मॉगकर रिश्वत राशि थाना के रसोईघर में स्लेब पर अखबार के नीचे रखवाकर प्राप्त की। जहां से कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि बरामद की गयी। इस प्रकार कार्यवाही के दौरान आरोपी के हाथों एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का धोवन, रिश्वती मांग सत्यापन व रिश्वती लेनदेन के दौरान रिकार्ड वार्ता एवं वक्त ट्रेप तक उक्त मुकदमा संख्या 132/2022 की पत्रावली आरोपी के पास ही अनुसंधानाधीन होने आदि तथ्यों से एवं उक्त घटनाक्रम एवं उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर आरोपी महावीर प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा उक्त पद का लोकसेवक होते हुये पदीय दायित्वो के निर्वहन में भ्रष्ट आचरण कर परिवादी से उसके उक्त कार्य की एवज में दौराने सत्यापन 15000/रूपये रिश्वत हेतु तय कर 10,000 रूपये वक्त सत्यापन रिश्वत प्राप्त करना व बकाया रिश्वती मांग के अनुसरण में वक्त ट्रेप 5,000 रूपये प्राप्त करना पाये जाने पर आरोपी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का घटित होना पाया गया है। अतः महावीर प्रसाद सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(विजेन्द्र कुमार सीला)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
श्रीगंगानगर–द्वितीय

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजेन्द्र कुमार सीला, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त आरोपी श्री महावीर प्रसाद, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 312/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

8.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2733-37 दिनांक 8.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला श्रीगंगानगर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय।

8.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।